(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग-2180/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 463/अपील/11-12.

---

1. हबीब खां उर्फ सुभान खां पुत्र नन्नू खां मृत द्वारा वारसान
   a) हफीज खां आत्मज श्री हबीब खां
   b) लईक खां आत्मज श्री हबीब खां
   c) इनायत खां आत्मज श्री हबीब खां
   समस्त निवासी ग्राम बडवेली खुर्द,
   तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र.
   d) बन्नी वी पुत्री हबीब खां, पत्नी रसीद खां
   निवासी लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा
2. सलमान खां पुत्र छोटे खां
3. सलीम खां आत्मज छोटे खां
4. इदरीस खां आत्मज छोटे खां
5. सिद्दीक खां आत्मज छोटे खां
6. मुफीद खां आत्मज छोटे खां
   समस्त निवासी ग्राम बडवेली खुर्द,
   तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. जैनब वी पुत्री कल्लू खां विधवा गुलजार खां
   निवासी ग्राम बड़वेली खुर्द हाल मुकाम
   वार्ड क्रमांक 13, नगर पालिका बैरसिया,
   जिला भोपाल, म.प्र.

2. अनीस खां आत्मज श्री छम्मे खां उर्फ मुस्तफा खां मृत द्वारा वारसान
   a) विव्वन वी विधवा अनीस खां
   b) शकील खां आत्मज अनीस खां
   c) अशफाक आत्मज अनीस खां
      समस्त निवासी ग्राम बड़वेली खुर्द,
      तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र.
3. करम खां आत्मज श्री छम्मे खां उर्फ मुस्तफा खां
4. बदर खां आत्मज श्री छम्मे खां उर्फ मुस्तफा खां
5. जफर खां आत्मज श्री छम्मे खां उर्फ मुस्तफा खां
6. रियाज खां आत्मज श्री छम्मे खां उर्फ मुस्तफा खां
7. लाल खां आत्मज श्री हमीद खां
8. हद्दो बी विधवा चांद खां वारसान
   a) अरमान खां पुत्र चांद खां
   b) अनवर खां आत्मज श्री चांद खां
   c) राशिद खां आत्मज श्री चांद खां
   d) इकबाल खां आत्मज श्री चांद खां
9. रसीद खां आत्मज श्री कादर खां (मृत) वारसान
   a) रफीक खां आत्मज रसीद खां
   b) शफीक खां आत्मज रसीद खां
   c) भूरा खां आत्मज रसीद खां
   d) पप्पू खां आत्मज रसीद खां
   e) अकरम खां आत्मज रसीद खां
   f) मुस्ताक खां आत्मज रसीद खां
10. याकूब खां आत्मज श्री कादर खां
11. हेदर खां आत्मज श्री कादर खां
12. बन्ने खां पुत्र हमीद खां मृत, वारसान
   a) इरशाद खां आत्मज श्री बन्ने खां
   b) इरुान खां आत्मज श्री बन्ने खां
   c) इमरान खां आत्मज श्री बन्ने खां

समस्त निवासी ग्राम बड़वेली खुर्द
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री शेरसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री तारिक मोहम्मद कुरैशी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1, 7, 9 के वारिस एवं 10 व 11

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 30.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी क्र. 1 आवेदिका द्वारा नायब तहसीलदार, बैरसिया के समक्ष ग्राम बड़वेलीखुर्द तहसील बैरसिया स्थिम भूमि खसरा क्रमांक 52/68/22, 58/1/1घ, 2/10, 8, 9, 7, 3/11 कुल रकबा 41.44 तथा 10.33, 15.35, 5.01, 30.63 के 1/4 के मान से स्वामी एवं आधिपत्यधारी होने से बंटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 39/ब-27/08-09 दर्ज कर अंतिम आदेश दिनांक 30.11.2010 को पारित किया गया। आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 22.03.2011 को अंतिम आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.01.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के प्रश्नगत व Void abintitio आदेशों को यथावत रखने में व अपील निरस्त करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है। उक्त विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि पर आधारित प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) अपर आयुक्त ने इस तथ्य को पूर्णत: दृष्टि ओझल कर दिया है कि नायब तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया ने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने आदेश 7 नियम 7 सी.पी.सी. के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्यर्थी क्र. 1 के मूल आवेदन दिनांक 22.06.2009 में ½ भाग की भूमियों की कोई मांग ही नहीं की गई है, बल्कि 1/4 भाग की मांग की गई है और माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत 1999(1) म.प्र. ज्यूडिशियल रिपोर्टर 589 के अनुसार वाद पत्र या आवेदन में चाहा गया रिलीफ के अतिरिक्त अन्य कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा प्रत्यर्थी क्र. 1 के मूल आवेदन के विपरीत पारित आदेश स्वत: ही अवैध होकर क्षेत्राधिकारिता से परे है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.03.2011 के अनुसार यथावत रखना स्वत: ही विधिक भूल है।

(3) दूसरी विधिक भूल यह है कि प्रकरण में यह तथ्य रिकॉर्ड पर है कि अनावेदक क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमियों में 1/2 भाग की सीमा तक स्वत्व सिद्ध करने हेतु व्यवहार न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में अनावेदक क्र. 1 का नाम 1/2 का भूमियों का भूमि स्वामी होने बावत कोई इन्द्राज नहीं है और अधीनस्थ न्यायालयों में प्रत्यर्थी क्र. 1 ने केवल पने पिता सिकंदर खां से 1/2 भाग की भूमि प्राप्त होना अभिकथन किया है, जबकि वादग्रस्त भूमियां सिकंदर खां के नाम पर कभी दर्ज नहीं रही। इस तथ्य का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं है। साथ ही सिकंदर खां के 4 पुत्र होना Admitted है जो प्रत्यर्थी क्र. 1 के पिता कल्लू खां को 1/2 भाग की भूमियां प्राप्त होने बावत् भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

(4) पटवारी द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन को साक्ष्य अधिनियम के प्रावधाननुसार सिद्ध करने हेतु पटवारी के कथन अंकित नहीं हुए हैं और उक्त फर्द बटान व पंचनामा प्र.पी. 1 व प्र.पी 2 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से उस पर आधारित अधीनस्थ समस्त न्यायालयों के आदेश विधि सम्मत्र नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(5) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया गया है।

(6) यह भी देखने का प्रयास नहीं किया है कि अनावेदक क्र. 1 का मूल आवेदन दिनांक 22.06.2009 में जिन खसरा नंबर व रकबा का वर्णन है अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश 30.11.2010 के द्वारा आवेदन में वर्णित खसरा नंबर व रकबा 102.76 एकड़ का बंटवारा न करते हुए सर्वथा भिन्न हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत खसरा नंबर जिन पर अनावेदक क्रमांक 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है, का बंटवारा आदेश पारित किया है, जो स्वत: ही व प्रारंभ से ही शून्यवत है और अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा शून्यवत आदेश को यथावत रखते हुए अपील अमान्य करने बावत प्रश्नगत आदेश 30.01.2016 त्रुटिपूर्ण है व विधिसम्मत नहीं होने से निरस्ती योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रक्रियाओं का पूर्णत: पालन करने वाली Finding पूर्णत: Perverce है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1, 7, 9 के वारिसान एवं अनावेदक क्र. 10, 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं तथा शेष प्रत्यर्थीगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अनावेदक क्र. 1, 7, 9 के वारिसान एवं अनावेदक क्र. 10, 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व न्यायालय द्वारा उपरोक्त राजस्व प्रकरण क्रमांक 39/अ-27/08-09 में वर्तमान आवेदकगण को स्वत्व का निर्धारण कराने हेतु 3 माह का अवसर प्रदान किया गया, किंतु आवेदकगण द्वारा किसी प्रकार का निर्धारण ना कराने के कारण राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.11.2010 को अंतिम आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में आदेश पारित करते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा क्रमांक

11 में 1/2 के अर्थात्16.978 हैक्टेयर में से 8.494 हैक्टेयर का अनावेदक क्र. 1 के नाम का खाता कायम किया जाकर कब्जा प्रदान कराये जाने के हेतु आदेश पारित किया गया है।

(2) वर्तमान आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश 30.11.2010 का पालन ना करते हुए उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2011 को अंतिम आदेश पारित करते हुए राजस्व प्रकरण क्रमांक 39/अ-27/08-09 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2010 को यथावत रखा गया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष असत्य एवं निराधार तथ्यों पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) विधि का सिद्धांत है कि जब न्यायालय किसी प्रकरण में आदेश की तिथि निर्धारित करते हैं तथा निर्धारित दिनांक को आदेश पारित कर दिया जाता है, तब उक्त स्थिति में यह स्पष्ट रूप से धारणा की जाती है कि निर्धारित तिथि पर अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर आदेश की जानकारी प्राप्त कर ली गई है, तब ऐसी स्थिति में जब अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में आदेश हेतु निर्धारित की गई तिथि दिनांक 30.01.2016 को नियत दिनांक पर ही आदेश पारित किया गया है। तब उक्त स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा यह दर्शाया जाना कि उन्हें आदेश की जानकारी प्रदान नहीं की गई है, पूर्णत: विधि विरूद्ध एवं असत्य तथा कपोल कल्पित होने से अस्वीकार करते हुए अपील निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष लंबित अपील जो वर्तमान आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई है, उस पर सूक्ष्म दृष्टिपात करते हुए एवं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर पूर्ण रूप से मनन करते हुए एवं अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकर कर विधि अनुकूल आदेश पारित किया गया है तथा वर्तमान आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है, जो कि पूर्णत: विधि विधान के प्रावधानों के अनुरूप होने से तथाकथित प्रश्नाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने की लेशमात्र आवश्यकता नहीं है।

अत: उनके द्वारा लिखित तर्क स्वीकार कर निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू-अभिलेख में दर्ज खातेदारों के मध्य ही बंटवारा किया गया है। मूल आवेदन में रकबे की त्रुटि का बिंदु मात्र तकनीकी बिंदु है। अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में खसरे/खतौनी पेश की थी, संशोधित आवेदन भी दिया था। तकनीकी त्रुटियों पर निगरानी में विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर